

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 14, गुरूवार, शाके 1943-अगस्त 5, 2021 Sravana 14, Thursday, Saka 1943-August 5, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

अधिसूचना जयपुर, जुलाई 26, 2021

संख्या एफ-7 (170/1) रालसा/ संस्था./विनियम-संशोधन/2021/11866 :- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 (1987 का अधिनियम संख्याक 39) की धारा 29-क के अधीन उसे प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-
 - (1) इस विनियम का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2021 है।
 - (2) यह राज पत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावी होगा।
- 2. विनियम 37 का संशोधनः- इन विनियमों के विनियम 37 में विद्यमान अभिव्यक्ति रूपये 1000/- के स्थान पर रूपये 2000/- प्रतिस्थापित की जाएगी।

आज्ञा से, ब्रजेन्द्र जैन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY RAJASTHAN HIGH COURT PREMISES, JAIPUR BENCH, JAIPUR NOTIFICATION

Jaipur, July 26, 2021

No.:-F-7(170/1)RSLSA/establishment/Regulation-Amendment/2021/11866:-The Rajasthan State Legal Services Authority, In exercise of the powers conferred on it under 29-A of the Legal Service Authority Act, 1987 (Act No. 39 of 1987) hereby makes the following regulations further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Regulations, 1999, namely:-

- 1. Short title and commencement:-
- (1) These Regulation may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Regulation, 2021.

- (2) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- **2. Amendment of regulation 37:-** In regulation 37 of said regulations for the existing expression "Rs. 1000/-", shall be substituted by the expression "Rs. 2000/-".

By Order,

Brajendra Jain, Member Secretary, Rajasthan State Legal Services Authority, Jaipur.